



Neutral Citation No. - 2026:AHC:127024

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट-ए संख्या - 8953 वर्ष 2026

सतीश कुमार सिंह

.....याचिकाकर्ता (गण)

बनाम

उ. प्र. राज्य एवं 2 अन्य

.....प्रत्यर्थी (गण)

याचिकाकर्ता (गण) की ओर से अधिवक्ता : धनंजय राय, विभु राय

प्रत्यर्थी (गण) की ओर से अधिवक्ता : सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या - 38

माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया

1. पूर्व में स्थानांतरण आदेश दिनांक 15.06.2025, जिसके द्वारा याचिकाकर्ता का स्थानांतरण मुजफ्फरनगर से श्रावस्ती किया गया था, को रिट-ए संख्या 8659 सन् 2025 योजित करके चुनौती दी गई थी, जिसका निस्तारण निर्णय एवं आदेश दिनांक 03.07.2025 द्वारा कर दिया गया था। आदेश दिनांक 03.07.2025 नीचे पुनरुत्पादित किया जाता है:-

“1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री विभु राय तथा उत्तर प्रदेश राज्य की ओर से विद्वान स्थायी अधिवक्ता को सुना गया।

2. याचिकाकर्ता, जो जिला कमाण्डेंट, होमगार्ड्स, मुजफ्फरनगर के पद पर कार्यरत है, सामान्य प्रकृति के स्थानांतरण आदेश दिनांक 15.06.2025 से व्यथित है, जिसके द्वारा उसका स्थानांतरण मुजफ्फरनगर से श्रावस्ती कर दिया गया है।

3. याचिकाकर्ता की ओर से यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि याचिकाकर्ता ने अपने व्यक्तिगत हित में स्थानांतरण का अनुरोध किया था, किन्तु वह बिहार के पड़ोसी जनपद में पदस्थापना

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



चाहता था, तथापि उसके अनुरोध पर विचार नहीं किया गया और उसका स्थानांतरण श्रावस्ती कर दिया गया। आगे यह प्रस्तुत किया गया कि याचिकाकर्ता ने अपने जीवन को खतरा होने के कारण स्थानांतरण का अनुरोध किया था, अतः उसे उसकी इच्छित जनपद अथवा निकटवर्ती जनपद में समायोजित किया जाना चाहिए था, विशेषतः उन परिस्थितियों में जबकि उसके पिता अस्वस्थ हैं।

4. विद्वान अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता ने कहा कि याचिकाकर्ता को उसकी इच्छित जनपद में स्थानांतरित नहीं किया जा सका, क्योंकि जिला कमाण्डेंट, होमगार्ड्स के पद पर कोई रिक्ति उपलब्ध नहीं थी। तथापि, उनके पास बिहार की सीमा से लगे अन्य जनपदों, जैसे पदरौना, देवरिया एवं महाराजगंज के संबंध में कोई निर्देश नहीं है।
5. उपर्युक्त परिस्थितियों में, जबकि याचिकाकर्ता का स्थानांतरण उसके स्वयं के अनुरोध पर किया गया है, मैं यह उपयुक्त समझता हूँ कि विपक्षीगण, याचिकाकर्ता द्वारा अपने अनुरोध-पत्र में उल्लिखित जनपदों के अतिरिक्त किसी निकटवर्ती जनपद में उसके स्थानांतरण के अनुरोध पर पुनर्विचार करें।
6. तदनुसार, इस याचिका का निस्तारण इस निर्देश के साथ किया जाता है कि याचिकाकर्ता आज से दो सप्ताह के भीतर विपक्षी संख्या-2 के समक्ष नवीन प्रत्यावेदन प्रस्तुत करे, जो बिहार की सीमा से लगे जनपद में उसका स्थानांतरण किए जाने के संबंध में उसके अनुरोध पर पुनर्विचार करेगा तथा यदि ऐसा कोई प्रत्यावेदन प्रस्तुत किया जाता है, तो उसी का निर्णय उसके पश्चात् आगामी दो सप्ताह की अवधि के भीतर किया जाएगा।
7. 45 दिनों की अवधि तक अथवा जब तक सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्णय नहीं ले लिया जाता, यदि याचिकाकर्ता को आदेश दिनांक 15.06.2025 के अनुपालन में कार्यमुक्त नहीं किया गया है, तो उसे कार्यमुक्त नहीं किया जाएगा।”

2. उपरोक्त याचिकाकर्ता के अनुसार 11 अगस्त, 2025 के आदेश के तहत महाराजगंज में अपने कर्तव्यों में शामिल होने की अनुमति दी गई थी। अब आदेश से याचिकाकर्ता को महाराजगंज से महोबा स्थानांतरित कर दिया गया है। उपरोक्त याचिकाकर्ता के खिलाफ व्यथित होकर वर्तमान रिट याचिका को प्राथमिकता दी है।



3. रिट याचिका के पैराग्राफ-7 में कहा गया है कि आक्षेपित आदेश इस तथ्य को नजरअंदाज करते हुए पारित किया गया है कि याचिकाकर्ता ने किसी विशेष स्थान पर पोस्टिंग के 3 साल पूरे नहीं किए थे। रिट याचिका के पैराग्राफ-8 में कहा गया है कि इस तथ्य को नजरअंदाज करते हुए आक्षेपित स्थानांतरण आदेश पारित किया गया है कि याचिकाकर्ता के पिता की आयु लगभग 77 वर्ष है और वह जिला-शिवहर में रह रहे हैं और उनके द्वारा उन्हें उत्तर प्रदेश राज्य में उक्त स्थान के पास के जिले में तैनात करने का लगातार अनुरोध किया जाता है। इसलिए आक्षेपित आदेश को अपास्त किया जा सकता है।

4. दूसरी ओर विद्वान स्थायी वकील द्वारा यह तर्क दिया जाता है कि यदि याचिकाकर्ता प्रत्यर्थी संख्या 2 के समक्ष एक नया प्रतिनिधित्व प्रस्तुत करेगा, तो वह याचिकाकर्ता की शिकायत पर विचार करेगा और प्रकरण में शीघ्रता से निर्णय लेगा।

5. इस मामले को ध्यान में रखते हुए, वर्तमान रिट याचिका का निपटारा किया जाता है जिसमें याचिकाकर्ता को आज से दस दिनों के भीतर प्रत्यर्थी नंबर 2-पुलिस महानिदेशक/कमांडेंट जनरल, होमगार्ड्स, लखनऊ के समक्ष एक नया अभ्यावेदन दायर करके स्थानांतरण के आदेश के खिलाफ अपनी शिकायतें उठाने की अनुमति दी जाती है। यदि ऐसा अभ्यावेदन किया जाता है, तो प्रत्यर्थी संख्या 2 को चार सप्ताह की अवधि के भीतर विधि अनुसार उचित आदेश पारित करने का निर्देश दिया जाता है।

6. उपरोक्त टिप्पणियों के साथ, वर्तमान रिट याचिका का अंत में निस्तारित किया जाता है।

7. छह सप्ताह की अवधि के लिए या अभ्यावेदन के निस्तारण तक, जो भी पहले हो, प्रत्यर्थी संख्या 2 द्वारा पारित दिनांक 30.05.2026 के आदेश का प्रभाव और संचालन पर रोक रहेगी।

12 जून 2026

प्रमोद त्रिपाठी

(न्यायमूर्ति प्रकाश पड़िया)